समाहरणालय, जहानाबाद

(जिला आपूर्ति शाखा)

आदेश

संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 1844/ खाद्य दिनांक 03.03.2015 से जहानाबाद जिला को माह मार्च, 2015 के लिए 48 टैंकलोरी किरासन तेल का आवंटन प्राप्त हुआ है। शेष अनुमान्य मात्रा का समायोजन अवशेष किरासन तेल से किया जाना है। आई0ओ0सी0 के अधिकृत थोक किरासन तेल विक्रेता के लिए 38 टैंकलोरी एवं बी0पी0सी0एल0 के अधिकृत थोक किरासन तेल विक्रेता के लिए 10 टैंकलोरी का कम्पनीवार कोटा आवंटित है। विभागीय आवंटनादेश के आलोक में ग्रामीण क्षेत्रों में 2.75 लीटर एवं शहरी क्षेत्रों में 2.25 लीटर प्रति लाभुक परिवार को देय है। उक्त आवंटनादेश में निहित निदेश के आलोक में थोक विक्रेताओं को किरासन तेल उपावंटित कर आवंटन आदेश की एक प्रति अविलंब जिलों से संबंधित आई0ओ0सी0 / बी0पी0सी0एल0 / एच0पी0सी0एल0 के डिवीजनल रिटेल सेल्स मैनेजर / एरिया मार्केटिंग मैनेजर तथा राज्य स्तरीय संयोजक -सह- महाप्रबंधक आई0ओ0सी0, पटना को उपलब्ध कराया जाना है, ताकि तेल कम्पनीयों ससमय आवंटित मात्रा विमुक्त कर सके। ऐसी परिस्थिति में विभागीय पत्रांक 4190/खाद्य दिनांक 09.07.2014 के आलोक में **माह- मार्च, 2015** के लिए मासिक उपावंटन प्रखंडवार / थोक विक्रेतावार / ठेला भेंडर हेतु निम्न प्रकार उपावंटित किया जाता है।

क्र०	थोक विक्रेता का नाम	गत माह का अवशेष (लीटर में)	आवंटित मात्रा (लीटर में)	कुल लीटर में	प्रखंड /शहरी क्षेत्र का नाम	कुल उपावंटित किरासन तेल की मात्रा (ली०) में
1.	मैं0 ओम ऑयल एजेन्सी घोषी	25593	192000	217593	1. घोषी	60863
					2. मोदनगंज	46923.25
					3.हुलासगंज(श्री स्वामी परांकुशाचार्य संस्कृतोच्य वि0हुलासगंज सहित)	49557
					4.काको	47624.50
					कुल-	**204967.75**
2.	मैं0 दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी, मखदुमपुर	43439	96000	139439	1.मखदुमपुर(ग्रामीण)	122952.50
					2.मखदुमपुर(शहरी)	12015
					कुल -	**134967.50**
3.	मैं0 प्रकाश ट्रेडिंग कम्पनी जहानाबाद	37187.75	168000	205187.75	1.रतनी-फरीदपुर	83315.50
					2.ठेला भेण्डर (26X750)	19500
					3.काको	46884.75
					4. जहानाबाद शहर	44527
					कुल -	**194227.25**

4.	में0 ठाकुर प्रसाद, भगवति प्रसाद जहानाबाद	775	120000	120775	1.जहानाबाद(ग्रामीण)	9.
					2.जहानाबाद(शहर)	639.
					3. ठेला भेण्डर (25X750)	18750
					4. विभिन्न थाना	821
					<u>जिला सुरक्षित</u>	
					i. उपकारा जहानाबाद।	140
					ii. अनु0 जाति कल्याण छात्रावास,जहानाबाद।	600
					iii. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय त्वरित न्यायालय।	16
					iv. सिविल सर्जन	60
					v.अग्निशामक, जहानाबाद	100
					vi रेड कॉस , जहानाबाद	10
					vii ट्रांजिट भवन जहानाबाद	15
					viii भारतसंचार निगम जहानाबाद	20
					ix कोषागार(गार्ड)	15
					x केन्द्रीय निगरानी खुफिया,विभाग जहानाबाद	20
					xi अल्पसंख्यक छात्रावास, जहानाबाद।	180
					xii पिछड़ा वर्ग छात्रावास, एस0एस0कॉलेज के निकट।	200
					xiiiअल्पावास गृह, जहानाबाद।	20
					xiv पुलिस क्लब, जहानाबाद।	20
					xv खादी ग्रामोद्योग, जहानाबाद।	25
					Xvi श्री यदुनन्दन महतो सेवा संस्थान, जहानाबाद।	50
					xvii लोक स्वास्थय प्रमंडल, जहानाबाद।	15

					xviii दारूल उलुम मोहम्दीया मदरसा, पी0जी0रोड, ईदगाह, जहानाबाद।	70
					xix फैजुल गोरबा मदरसा से खालम चक, जहानाबाद	60
					xx कायनात इन्टरनेशनल स्कूल काको	10
					xxi मदरसा जामिया अरबिया ईसलामियाँ जाफरगंज जहानाबाद।	150
					Xxii मदरसा तामिल कुरान, नवीनगर, जहानाबाद।	10
					Xxiii मदरसा अरबिया ईसलामियाँ जहानाबाद।	200
					Xxiv मदरसा तामिल इस्लाम, बिचली मोहल्ला, जहानाबाद।	150
					Xxv मदरसा रजाए मुस्तफा, जहानाबाद	100
					Xxvi कैथोलिक चर्च, जहानाबाद	60
					Xxvii कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय, जहानाबाद	20
					कुल -	**120069**
	कुल	**106994.75**	**576000**	**682994.75**	**कुल उपावंटन**	**654231.50**

सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त उपावंटित मात्रा का वितरण विभागीय पत्रांक 3550 दिनांक 18.06.2014 एवं इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 467 दिनांक 19.06.2014 के आलोक में डिजीटाईज्ड राशन कार्ड के माध्यम से वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक 34। दिनांक 05.02.2015 एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक 49 दिनांक 29.01.2015 के प्रतिवेदन के अनुसार जहानाबाद ग्रामीण एवं शहर के लिए किरासन तेल का उपावंटन किया गया है।

अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद को आदेश दिया जाता है कि जिला सुरक्षित मद से विभिन्न चिन्हित संस्थाओं को किरासन तेल का उपावंटन के अनुकूल वितरण नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता से संबद्धता करते हुए करायेंगे। सभी थोक किरासन तेल विक्रेता को निदेश दिया जाता है कि नियमानुसार संबद्ध प्रखंड/शहरी क्षेत्र के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं /ठेला भेंडरों को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी /आपूर्ति निरीक्षक के द्वारा हस्ताक्षरीत एवं अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित उपावंटन आदेश में निहित मात्रा के अनुसार विधिवत् किरासन तेल की आपूर्ति करेंगे। सभी किरासन तेल थोक विक्रेताओं को यह भी निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने प्रतिष्ठानों के आवंटित किरासन तेल निर्धारित रोस्टर /तिथियों के अनुसार ससमय करते हुए अपने अपने प्रतिष्ठानों से संबंद्ध प्रखंड के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के बीच नियमानुसार संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष परिचय-पत्र के आधार पर किरासन तेल नोजल सिस्टम से हीं आपूर्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती सभी थानों में रोशनी के लिए उपावंटित मात्रा कुल 821 लीटर किरासन तेल का उठाव संबंधित थोक विक्रेता से कराते हुए तदनुसार अपने स्तर से थानों में वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

प्रत्येक थोक किरासन तेल विक्रेता ठेला भेण्डर के भंडारण पंजी, विक्री पंजी से पूर्व आवटंन एवं वितरण संबंधी प्रमाण पत्र, ठेला भेण्डर का परिचय पत्र / ठेला भेण्डर का नाम, अनुज्ञप्ति संख्या / वार्ड संख्या पंचायत का नाम / प्रखण्ड का नाम/ किरासन तेल विकी की मात्रा किरासन तेल विक्री की दर एवं वितरण क्षेत्र का नाम अंकित है या नहीं देख लेने के बाद ही किरासन तेल आपूर्ति करेगें ।

अनुमंडल पदाधिकारी जहानाबाद को आदेश दिया जाता है कि ठेला भेण्डर द्वारा किरासन तेल वितरण व्यवस्था सुदृढ़ करने संबंधी विभागीय निदेशो का अक्षरश: अनुपालन करायेगें । सभी थोक किरासन तेल विक्रेताओं को आदेश दिया जाता है कि विभागीय निदेशो के आलोक में किरासन तेल खुदरा विक्रेता को नियमानुसार आपूर्ति कराना सुनिश्चित करेगें। उन्हें पून: निदेश दिया जाता है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का किरासन तेल आपूर्ति करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेगें कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का ड्राम हरा रंग का हो जिस पर अमिट स्याही से खुदरा विक्रेता का नाम एवं अनुज्ञप्ति संख्या लिखा होना चाहिए ।

सभी किरासन तेल थोक विक्रेताओं को निदेश दिया जाता है कि वे जन वितरण प्रणाली विक्रेता के परिचय पत्र को देखकर हीं किरासन तेल का आपूर्ति करेंगे। किसी भी परिस्थिति में विक्रेता के अलावे किसी अन्य व्यक्ति को किरासन तेल उठाव नहीं करने देंगे। इसी पूर्ण जवाबदेही थोक विक्रेता की होगी। किसी भी विक्रेता द्वारा रोस्टर के अनुसार तेल नहीं उठाने की स्थिति में थोक विक्रेता बिना अनुमण्डल पदाधिकारी की अनुमति के रोस्टर से अलग उठाव नहीं करने देंगे ।

विभागीय पत्रांक 4190 दिनांक 09-07-2014 के अंतिम कंडीका के अनुसार निर्धारित अवधि अन्तर्गत किरासन तेल का उठाव कराया जाना है।

अनुमंडल पदाधिकारी जहानाबाद सभी थोक विक्रेता किरासन तेल का पूर्ण उठाव प्रत्येक माह के 25 वीं तिथि तक कराना सुनिश्चित करेगें । उनके द्वारा उठाव किये गये किरासन तेल की मात्रा को सूचना पट्ट में तिथिवार अवश्य अंकित करायेगें । जिन थोक किरासन तेल विक्रेताओं द्वारा निर्धारित शत प्रतिशत मात्रा में तेल का उठाव नहीं किया जाता है उनकी सूची उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सूनिश्चित करेगें । थोक विक्रेता के यहा से खुदरा विक्रेता द्वारा तेल का उठाव प्रतिनियुक्त प्रखंड आपुर्ति पदाधिकारी के समक्ष हो तथा उपरोक्त निदेशों का अक्षरश: अनुपालन कराना सुनिश्चित करेगें । अनुमंडल पदाधिकारी जहानाबाद वितरण पर कड़ी निगरानी रखेगें ताकि वितरण में अनियमितता एवं कालाबाजारी न हो सके। तत्संबंधी उठाव एवं वितरण का प्रतिवेदन भी समर्पित करेंगे।

ह0/-

जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद।

VIII-01/14 (Part-V)

ज्ञापांक ......253...../ जि0 आ0 दिनांक ...11/03/15...

प्रतिलिपि:- सरकार के उप सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- उप निदेशक(खाद्य) मगध प्रमण्डल गया को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- संयोजक-सह-महाप्रबंधक, भारतीय तेल निगम पटना / डिवीजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, आई0ओ0सी0 / भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद / अनुमंडल पदाधिकारी जहानाबाद/ सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी,जहानाबाद /सभी प्रखंड आपूर्ति पदा0 /सभी आपूर्ति निरीक्षक जहानाबाद जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- जिला जन संपर्क पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर एन0आई0सी0 जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी थोक किरासन तेल विक्रेता जहानाबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद।